कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक/3968/कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 06/05/2020

प्रति,

1 सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला

2 सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत रायगढ़ जिला

3 सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद
रायगढ़ जिला

विषयः— (COVID-19) अन्य प्रदेशों से छ०ग० राज्य लौटने वाले व्यक्तियों के क्वारेंटाईन सेंटर के लिये दिशा–निर्देशिका।

संदर्भः— छ०ग० शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 462/निस/स/2020 रायपुर दिनांक 04.05.2020

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत (COVID-19) अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश एवं एडवायजरी के अनुपालन में कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण हेत जिला स्तर पर विभिन्न आवश्यक कदम उठाये गये है। इसी अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3750/कोरोना सेल/2020 दिनांक 04.05.2020 के द्वारा आने वाले मजदूर एवं श्रमिकों को क्वारेंटाईन सेंटर में रखा जाकर, उनके आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है, के परिपेक्ष्य में इस जिले से अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गये व्यक्ति वापिस अपने निवास के जिले में आने की संभावना है, जिन्हें आपके कार्यक्षेत्र अन्तर्गत अधिसूचित क्वारेंटाईन सेंटर में छ०ग० शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के द्वारा जारी निम्नांकित दिशा–निर्देशिका के अनुरूप समुचित व्यवस्था के साथ पालन सुनिश्चित किया जाना है:—

1. आपके कार्यक्षेत्र अन्तर्गत अधिसूचित क्वारेंटाईन सेंटर से कोई व्यक्ति बाहर न जा सकें इसकी सतत् निगरानी रखा जायें।
2. क्वारेंटाईन सेंटर में यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाये जाते है तो क्वारेंटाईन सेंटर में पृथक खण्ड में तत्काल शिफ्ट किया जाये।
3. इन व्यक्तियों के स्नान एवं शौचालय के लिए पृथक से उचित व्यवस्था किया जाये।
4. यह सुनिश्चित किया जाये कि यह किसी भी खुले स्थान पर शौच ना करे।संभव हो तो बायो डेग्रिडिबल शौचालय का इस्तेमाल किया जाये।
5. किसी भी अवस्था में इन्हें ग्रामीणों द्वारा निस्तारी हेतु उपयोग किये जाने वाले तालाब के उपयोग से वर्जित रखा जाये। इन लोगों को यथासंभव नहाने हेतु कैम्पस में ही उचित स्नानागार की व्यवस्था किया जाये।
6. इनके भोजन की व्यवस्था करते समय दो गज की दूरी रखते हुये सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों का पालन किया जाये। भोजन परोसने वाले व्यक्ति को सावधानी बरतते हुए भोजन परोसने हेतु निर्देशित किया जावें।
7. इनको भोजन डिस्पोजेबल पत्तल/गिलास में उपलब्ध कराया जाये तथा उपयोग के पश्चात इन सामाग्रियों को डिप–बरियल की विधि से निष्पादन किया जावे। सेंटर के पीछे ही गड्डे खोदकर पत्तल/गिलास आदि का डिस्पोजल किया जावे।
8. इनको 14 दिनों तक किसी भी प्रकार के कैम्पस से बाहर जाने न दिया जावेया अन्य ग्रामीणों से मिलने से वंचित रखा जाये। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक/सार्वजनिक गतिविधियां संचालित न की जायें।
9. इनमें से किन्ही व्यक्तियों को सर्दी/खांसी, बुखार या श्वांस लेने में तकलीफ होने की अवस्था में तथा कोविड–19 के संभावित लक्षण होने पर, तत्काल सूचना क्वारेटाईन सेंटर के प्रभारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किया जावेगा। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर, तत्काल निकटस्थ आईसोलेशन सेंटर में भेजा जाये।

Scanned with CamScanner

10. क्वारेंटाईन/आईसोलेशन सेंटर व मजदूर कैम्प से किसी व्यक्ति का सैंपल टेस्टिंग हेतु भेजे जाने की अवस्था में उक्त व्यक्ति की जांच रिपोर्ट आने तक टेस्टिंग हेतु किसी भी अवस्था में डिस्चार्ज ना किया जाए।

11. इन क्वारेंटाईन सेंटर में सेवा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी दी जावे कि ये संदग्धि व्यक्ति है तथा संक्रमित हो सकते है। अतः वे पर्याप्त सावधानी बरते एवं अनावश्यक इनसे ना मिले।

12. इन क्वारेंटाईन सेंटर में विभिन्न विभाग यथा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी को अपनी सुरक्षा हेतु दूरी बनाये रखने, मास्क अनिवार्य रूप से पहनने एवं अन्य समस्त आवश्यक उपायों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जाये।

13. संलग्न प्रपत्र "क" एवं "ख" के अनुसार जानकारी श्री श्रवण कुमार टण्डन, डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ को उनके व्हाट्सअप नम्बर 94255-64594 में अनिवार्यतः प्रतिदिन प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे ताकि संकलित जानकारी शासन की ओर प्रेषित की जा सके।

अतएव उक्त दिशा-निर्देशिका का समुचित उचित व्यवस्था करते हुए, कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-रायगढ़(छ.ग.)

पृ0क्रमांक/3968-ए/कोरोना-सेल/2020 रायगढ़,दिनांकः 06/05/2020

प्रतिलिपिः-

1. मान. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
6. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर, (छ0ग0)
7. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर (छ0ग0)
   ---की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला-रायगढ़ (छ0ग0)
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ (छ0ग0)
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ0ग0)
11 श्री श्रवण कुमार टण्डन, डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया संलग्न प्रपत्रानुसार संकलित जानकारी तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के अनुमोदन उपरान्त शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें
11. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) जिला-रायगढ़ (छ0ग0)
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला रायगढ़ (छ0ग0)
13. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला रायगढ़ (छ0ग0)
14. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला रायगढ़
   ---की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग जिला-रायगढ़
16. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-रायगढ़(छ.ग.)

Scanned with CamScanner

प्रपत्र– क

क्वारेंटाईन सेंटर में लक्षण सहित व्यक्तियों की जानकारी

सेंटर में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या.............................. दिनांक ....

क्र.	जिला का नाम	नाम	मोबाईल नम्बर	किस राज्य से आये है	छ.ग. राज्य में आने का दिनांक	क्वारेंटाईन कैम्प का नाम एवं पता	क्वारेंटाईन कैम्प के नोडल अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर

प्रपत्र–ख

क्र.	जिला का नाम	ग्राम में बाहर से आये कुल व्यक्तियों की संख्या	क्वारेंटाईन सेंटर में वर्तमान में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या	जिले में कुल क्वारेंटाईन सेंटर की संख्या	राज्य में क्वारेंटाईन सेंटर में बाहर से आये हुए मजदूरों की संख्या

Scanned with CamScanner